



2026:AHC:171746

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस

संख्या - 1610 वर्ष 2025

राजेश

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

....प्रतिपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

: दुष्यंत सिंह, एम.सी. सिंह

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, कपिल त्यागी, सीताराम पटेल

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना

1. यह विशेष रूप से निर्धारित प्रकरण है जिसमें अंतरिम अग्रिम जमानत पहले ही दी जा चुकी है।

1ए. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार तिवारी उपस्थित हुए, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री सीताराम पटेल और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हैं।

2. इस न्यायालय ने दिनांक 7.7.2026 के आदेश में राज्य को पूरक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसमें यह बताना था कि अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान करने के आदेश में लगाई गई शर्तों का पालन अभियुक्त आवेदक द्वारा किया गया है या नहीं। पूरक हलफनामा अभिलेख में है।

3. इस न्यायालय ने दिनांक 6.3.2025 के आदेश में अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की है। आदेश को नीचे दोहराया गया है:

"1. आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता

संख्या 10752 वर्ष 2024 (जुगला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य) से

संलग्न करें।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री दुष्यंत सिंह, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कपिल त्यागी, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।

3. दिनांक 21.08.2024 के समन आदेश के संबंध में, जो शिकायत प्रकरण संख्या 43401 वर्ष 2023 के रूप में धारा 420, 467, 468 , 471, 447 भारतीय दंड संहिता, थाना राबूपुरा, जिला गौतम बुद्ध नगर के तहत दर्ज किया गया है, मुकदमे की लंबित अवधि के दौरान आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ यह अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण इरादे से इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। यह शिकायत आवेदक को परेशान करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज की गई है। विवेचना अधिकारी ने अंतिम/समापन सूचना प्रस्तुत कर दी है, जिसके बाद शिकायतकर्ता के विरोध आवेदन पर, माननीय मजिस्ट्रेट ने इसे शिकायत प्रकरण मानकर 21.08.2024 के आदेश द्वारा आवेदक को तलब किया। माननीय मजिस्ट्रेट द्वारा समन करना न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सह-आरोपी जुगला और जीतू को इस न्यायालय द्वारा क्रमशः 28.11.2024 और 18.02.2025 के आदेशों द्वारा अंतरिम अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। आवेदक का प्रकरण उन सह-आरोपियों के समान है जिन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा। आवेदक को पुलिस द्वारा अपनी गिरफ्तारी का स्पष्ट डर है।

5. प्रतिपक्षी संख्या 2 को सूचना जारी करें जिसका जवाब जल्द से जल्द दिया जा सके।

6. सूचना मिलने के तुरंत बाद इस प्रकरण को सूचीबद्ध करें।

7. इस आवेदन पर सुनवाई के लिए निर्धारित अगली तारीख तक अंतरिम सुरक्षा के रूप में, आवेदक को उपरोक्त प्रकरण में अग्रिम जमानत दी जाती है। आवेदक



को 50,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के साथ अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

- (i) आवेदक न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहेगा तथा परीक्षण कार्यवाही में सहयोग करेगा।
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से हतोत्साहित हो;
- (iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा और यदि उसके पास पासपोर्ट है, तो उसे संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त/सहायक पुलिस आयुक्त के समक्ष जमा करना होगा।
- (iv) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (v) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/उसे डराएगा नहीं।
- (vi) आवेदक को निर्धारित प्रत्येक तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

4. इस प्रकरण में, अभियुक्त द्वारा कब्रिस्तान की ज़मीन पर अतिक्रमण करने और उसे बेचने का प्रयास करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभियुक्त आवेदक के पक्ष में अंतिम सूचना प्रस्तुत की गई है। अवर न्यायालय ने इसे शिकायत में परिवर्तित कर दिया है। अपीलकर्ता लगातार अवर न्यायालय के समक्ष पेश हो रहा है, लेकिन मुकदमा अभी प्रारंभिक चरण में है। आवेदक अंतरिम अग्रिम जमानत के निर्देशों का पालन कर रहा है।

5. अतः, अंतरिम आदेश की पुष्टि की जाती है। अग्रिम जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

6. उपर्युक्त प्रकरण में **आरोपी- राजेश** इस आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और इस आदेश की एक प्रति प्रस्तुत करेगा। उसकी पिछली जमानत बांडों पर विचार करते हुए उसे अग्रिम जमानत दी जाएगी, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-



(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक को अवर न्यायालय के समक्ष उन तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा जो (i) प्रकरण की शुरुआत, (ii) आरोप तय करने और (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित की गई हैं।

(iv) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत याचिका के निर्धारण के उद्देश्य से ही कही गई है और इसे किसी भी तरह से प्रकरण की योग्यता पर राय के रूप में नहीं लिया जाएगा। अवर न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना)

14 अगस्त, 2026

कृष्णा*